भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

24.9.19

विविध वाद सं0–...15.. (S.T.) / 2019–20 / CNT–46

फकीर मानकी उर्फ फकीर मुण्डा, पिता–स्व0 सुकदेव मानकी ....आवेदक

————बनाम————

सिताराम मानकी एवं बलराम मानकी, पिता–लविन्दर मानकी .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदक (विकेता) फकीर मानकी उर्फ फकीर मुण्डा, पिता–स्व0 सुकदेव मानकी उर्फ खेपा मुण्डा, ग्राम–बुधरायसाई, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''मुण्डा'' (अ0ज0जा0) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता सिताराम मानकी एवं बलराम मानकी दोनो के पिता–स्व0 लखिन्दर मानकी ग्राम–जुकतीडीह, थाना–घाटशिला, अंचल–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''मुण्डा'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
घाटशिला	बुधरायसाई	50	14	152 153	0.61 ए0 0.79 ए0

कुल–1.40 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–06 / 03 / 2018 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 21 / 03 / 2018 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–340, दिनांकः–16 / 04 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा आपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदक स्वयं फकीर मुण्डा, पिता–खेपा मुण्डा के नाम पर दर्ज हैं। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदित भूमि आवेदक का स्वयं अपने नाम पर खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 5 (पाँच) बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या ..49.. दिनांक–23/09/2019 दाखिल किया गया हैं।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदक (विक्रेता) एवं केता सभी एक ही थाना क्षेत्र के हैं

24/9/19

तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2018/806519, दिनांक–23/10/2018, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2018/965352, दिनांक–25/09/2018, तथा क्रेता की ओर से एक सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2018/1206013, दिनांक–15/10/2018, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2018/1452194, दिनांक–12/10/2018 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 1.40 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–1,45,000.00/–(एक लाख पैंतालीस हजार) रूपये में बेचना चाहते है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी घाटशिला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–बुधरायसाई, थाना संख्या–50, खाता संख्या–14, प्लॉट नं0–152 एवं 153, रकवा–0.61 ए0 एवं 0.79 ए0 कुल रकवा–1.40 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।